नई पेंशन प्रणाली की संरचना

नई पेंशन प्रणाली की मुख्य विशेञ्ताएं और संरचना

- नई पेंशन प्रणाली स्पञ्ट अंशदानों पर आधारित होगी । अंशदानों के संग्रहण हेतु इसमें बैंकों की शाखाओं और डाकघरों आदि के मौजूदा तंत्र का प्रयोग किया जाएगा। रोजगार और/अथवा स्थान परिवर्तित हो जाने के मामले में, संग्रहणों के अंतरण बिना किसी बाधा के किये जाएंगे। यह निवेश विकल्पों और निधि प्रबंधकों के समूह की भी पेशकश करेगी । यह नई पेंशन प्रणाली स्वैच्छिक होगी ।

- परन्तु यह प्रणाली, केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्ताओं (सशस्त्र बलों के सिवाए) के लिए अनिवार्य होगी । मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा जो कर्मचारी द्वारा अदा किया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा समतुल्य राशि दी जाएगी। तथापि, उन व्यक्तियों के संबंध में जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, सरकार की तरफ से कोई अंशदान नहीं होगा। अंशदान और उन पर प्रति फलों को एक अनाहरणीय पेंशन खाते में जमा कराया जाएगा । परिभाञ्ज्ञित लाभ पेंशन और सामान्य भविञ्ज्य निधि के मौजूदा प्रावधान केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्त्ताओं को उपलब्ध नहीं होंगे ।

- उपर्युक्त पेंशन खाते के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद का स्वैच्छिक टियर-II आहरणीय खाता रख सकता है। सरकार इस खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी । इन परिसंपत्तियों की प्रबंध-व्यवस्था उसी तरीके से होगी जैसे पेंशन की होती है । इस खाते में संग्रहणों को किसी भी समय बिना कारण बताए निकाला जा सकता है ।

- व्यक्ति सामान्यतया 60 वर्ञ्ज की आयु में अथवा बाद में इस पेंशन प्रणाली से बाहर निकल सकता है । बाहर निकलते समय उस व्यक्ति से अपेक्षित होगा कि वह पेंशन धन का कम से कम 40 प्रतिशत वार्ञ्जिकी की खरीद में निवेश करे । सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह वार्ञ्जिकी सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को जीवन पर्यंत और उस पर आश्रित माता-पिता और उसके पति/पत्नी के लिए पेंशन की व्य वस्था करेगी । वह व्यक्ति शेञ्ज पेंशन धन को एकमुश्त रूप में प्राप्त करेगा जिसका उपयोग किसी भी तरह से करने के लिए वह स्वतंत्र होगा । व्यक्तियों को 60 वर्ञ्ज की आयु से पहले पेंशन प्रणाली छोड़ने की छूट प्राप्त होगी। लेकिन इस मामले में अनिवार्य वार्ञ्जिकीकरण पेंशन धन का 80% होगा ।

- चयन के लिए एक या अधिक केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए), अनेक पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) होंगे जो विभिन्न श्रेणियों की स्कीमों की पेशकश करेंगे ।

- प्रतिभागी निकाय (पीएफएम, सीआरए आदि) पिछले कार्यनिष्पादन और नियमित निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के बारे में आसानी से समझी जा सकने वाली सूचना देंगे ताकि व्यक्ति अपनाई जाने वाली योजना के बारे में सुविज्ञ निर्णय ले सके ।